विहार विधान-सभा वादवृत्त ।

(भाग 1—कार्यवाही—प्रश्नोत्तर ।)

शुक्रवार, तिथि 14 जुलाई 1978 ।

विषय-सूची ।

पृष्ठ ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर—विहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 4 (ii) के परन्तुक के अन्तर्गत सभा-मेज पर रखे गये प्रश्नों के लिखित उत्तरों का सभा-मेज पर रखा जाना—

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या 246, 254, 256, 268, 1203, 1205, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1221, 1222, 1225, 1226, 1228, 1229, 1230, 1231, 1233, 1235, 1236, 1238, 1241, 1242, 1244, 1245, 1247, 1249, 1255, 1258, 1259, 1263, 1264, 1266, 1271, 1274, 1278, 1279, 1280, 1288, 1293 एवं 1295 । 1—56

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

परिशिष्ट 1 .. .. .. 57—62

परिशिष्ट 2 .. .. .. 63—206

दैनिक निबन्ध 207-208

टिप्पणी—किन्हीं मंत्रियों एवं सदस्यों ने अपने भाषण संशोधित नहीं किए

(4) क्या यह बात सही है कि इतनी बड़ी सरकारी सामान की चोरी हुई किन्तु उसको थाना में केस भी नहीं किया गया;

(5) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो थाना में केस क्यों नहीं किया गया और सरकार किसी वरिष्ठ पदाधिकारी से जांच करा कर दोषी व्यक्तियों को सजा देने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री, सहकारिता विभाग—(1) उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। धनवाद सुपर मार्केट में दिनांक 29 अक्टूबर, 1975 को करीब 5,300 रु० की चोरी नहीं है बल्कि क्लौथ काउन्टर से चार थान (ऊनी कपड़ा) मूल्य 3,530.88 रु० गायब हो गया था।

(2) उत्तर स्वीकारात्मक है। मार्केट की चाभी सहायक कार्यपालक एवं श्री योगेन्द्र राउत के पास रहती थी। जिस दिन उपर्युक्त कपड़े के काउन्टर में कमी की सूचना दी गई, उस दिन भी चाभी उन्हीं के पास थी।

(3) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(4) सामान गायब होने के संबंध में सूचना थाना में पत्रांक 115, दिनांक 1 नवंबर, 1975 द्वारा दी गयी है।

(5) कार्यपालक सहायक, सुपर मार्केट, धनबाद के पत्रांक 115, दिनांक 1 नवंबर, 1975 द्वारा प्रभारी पदाधिकारी, थाना धनबाद में प्राथमिकी दायर किया गया। श्री साधु शरण सिंह के पास से सामान गायब होने के संबंध में एवार्ड केस भी दायर किया गया है।

स्पीनिंग यूनिट में प्रगति।

ऐ-13। श्री कृष्णा प्रताप सिंह एवं श्री वृज किशोर नारायण सिंह—क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि विगत मंत्रिमंडल ने राज्य में कुल छः स्पीनिंग मिल बैठाने का निर्णय लिया था, यदि हां तो प्रत्येक यूनिट में क्या प्रगति है ?

प्रभारी मंत्री, उद्योग विभाग—1974 में चार स्पीनिंग मिल की परियोजना स्थापित करने के लिए बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम, पटना को भारत सरकार से आशय पत्र प्राप्त हुआ था। इन चारों स्पीनिंग मिलों को भागलपुर, मधुबनी, सिवान और जमुई में कार्यान्वित करना है जिसकी प्रगति निम्न प्रकार है:—

(1) स्पीनिंग मिल, भागलपुर—इस परियोजना को राजकीय क्षेत्र में अवस्थित किया जा रहा है जिसके लिए तकनीकी परामर्श का चयन एवं विस्तृत फिजीवीलीटी रिपोर्ट तैयार हो चुका है तथा मिट्टी के परीक्षण का कार्य किया जा रहा है।

(2) स्पीनिंग मिल, मधुबनी—इसके लिए स्थल का चयन हो चुका है। भू-अर्जन की कार्यवाही प्रगति में है और फिजीवीलीटी रिपोर्ट तैयार हो गई है।

(3) स्पीनिंग मिल, सिवान—विस्तृत फिजीवीलीटी रिपोर्ट तैयार किया जा चुका है। वित्तीय साझेदारी के रूप में मेसर्स विष्णु सुगर मिल लि०, सिवान का चयन हो चुका है। परन्तु एकरारनामा पर हस्ताक्षर के बावजूद पत्राचार अभी तक नहीं हो पाया है।

(4) स्पीनिंग मिल, जमुई—इसके लिए विस्तृत फिजीवीलीटी परियोजना रिपोर्ट तैयार हो चुका है। मेसर्स सोनी एन्ड कं० को वित्तीय साझेदारी के लिए चयन किया गया है। इस वित्तीय साझेदार के अपने हिस्से की पूंजी जमा नहीं करने के कारण साझेदारी का एकरारनामा समाप्त किया जा रहा है।

अनियमित नियुक्ति नहीं रोकने का औचित्य

ऐ-45। श्री कृष्णवल्लभ प्रसाद सिंह—क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि उद्योग विभाग के सूचना पदाधिकारी के पद पर अनियमित नियुक्ति को रद्द करने की गत वर्ष कार्मिक विभाग से सहमति प्राप्त हुई है;

(2) क्या यह बात सही है कि सूचना पदाधिकारी के पदधारक लम्बी छुट्टी पर हैं;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो कार्मिक विभाग से सहमति प्राप्त होने के बावजूद अब तक सूचना पदाधिकारी के पद पर अनियमित नियुक्ति नहीं रद्द किये जाने का क्या औचित्य है?

प्रभारी मंत्री, उद्योग विभाग—(1) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(2) माह नवंबर, 1977 से छुट्टी पर हैं।

(3) कार्मिक विभाग की राय प्राप्ति के उपरान्त मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए संदेश भेजा जा रहा है।

श्री महतो की कार्यमुक्ति का औचित्य

ट-38। श्री कृष्ण वल्लभ प्रसाद सिंह—क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि श्री राम शृंगार महतो, अनुसेवक ने भूमि संरक्षण निदेशालय, बिहार, पटना के अधीन वेतनमान 155–190 में निदेशालय